

Teacher - Ravi Shankar Ray , sub - economics

Date - 23-11-2020 , class - BA-II

(4) राज्य-वार सहायता (State-wise Assistance)

अब तक IDBI द्वारा प्रदान

की गयी सहायता में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, अरंगोड़ा और आन्ध्रप्रदेश राज्यों को सबसे अधिक मात्रा प्राप्त हुआ है। इब भी IDBI प्रदान का अधिक सहायता का प्रयास करता है।

(5) सेक्टर-वार सहायता (Sector-wise Assistance):-

IDBI द्वारा अब तक प्रदान की गयी सहायता में निजी इकाइयाँ (private sector) का मात्रा 75.5% रहा है। अन्य इकाइयाँ प्राप्ति-जनिक इकाइयाँ (public sector) का मात्रा 14.9%, संचयक संस्थाएँ का मात्रा 0.4% तथा सहकारी संस्थाएँ (cooperative sector) का मात्रा 2.8% रहा है।

(6) पुनावित सहायता (Refinance Assistance) ⇒

अब IDBI भारत की पुनावित

प्रधान करने वाली संस्था की संस्था है। एक अन्य संस्था NABARD भी उनकीति की छुविया प्रधान करता है। अप्रैल 1990 से SIDBI भी अब उनकी सहायता प्रधान करते लगा है।

(7) मिसान ग्रहणों एवं द्युमित छातानों की LEP गारंटीज़ों (Guarantee for Export Loans and deferred payment) —

विदेश बैंक द्वारा दी गई गारंटीओं की बकाया राशि 360 करोड़ रुपयी। अब इस कार्य मिसान-आनांद बैंक (Exim Bank) द्वारा किया जा रहा है जिसे जनवरी 1982 में घोषित किया गया।

(8) अन्य विविध कार्य (Other miscellaneous function) —

अन्य भारतीय वित्तीय

नियमों (IFCIS, IFCI, LIC, GIC, UTI) संयुक्त बैंकों समय-समय पर विकास के बारा आपोलिन की जाती हैं जिनमें एच-टरीय वा नियमों (SPC, STDC) के अनियमी भी आते हैं। उनमें अंतर (धारात्) (inter-institutional) मामलों पर विवार विशेष होता है।

संघरण प्राप्त कर्मानियों की प्रगति की देख रेख के लिए (for monitoring the progress) ऐसी कार्यविधि के संचालक मंत्रों में कुछ संचालकों की नियुक्ति करने का आविकार IDBI को है। इस लम्बे १५० कर्मानियों के संचालक मंत्रों में IDBS के नामांकित संचालक (Nominee Directors) कार्यरत हैं।

विकास के अन्य कारों

के अन्य कार्यों में अनेक कार्य

शामिल हैं। ऐसे राज्यों के विशेष निवासी एवं
तकनीकी संगठनों के अधिकारियों के उचितापाद के लिए
कार्यक्रमों का आयोजन, समयः समय पर बनका
निरीक्षण एवं छाती रिपोर्ट की समीक्षा, वित्तीय परा-
मर्श अध्ययन अनुदिन्यान सर्वेक्षण आदि के
कार्य तथा विकास एवं प्रबंध संबंधी मान-
विधि विषयों पर विचारणा (Seminar
गत्त) का आयोजन आदि।

(3) नेत्र उआर योजना (soft loan scheme)

भारतीय आयोजना

विकास केंद्र ने 1976 में नेत्र उआर
योजना चाल की ताकि कुछ युन इस
उआरों को (अधर्ति सिमेंट, घृती वर्षा
उआर, पटलन आदि जीव तथा कुछ
इंजीनियरिंग उआर) को रखाती ही
पर उत्तम उपलब्ध कराया गया G.T.
एक निवास के अन्तर्गत एवं

मशीनरी के आयुर्विकरण, उत्तरव्यविधि
और नवनीकरण की योजनाओं को लाइ
कर सके।

इस प्रकार कम लागत पर आधिक
उत्पादन किया जा सकता है। इस योजना
के अन्तिम दृष्टि द्वारा ली जाती है
और इस अपेक्षा के अवधि 15 वर्ष रखी
जाती है। यह योजना परिवर्तनीयता अनु-
द्धृति (convertibility clause) के कारण भौ-
संरक्षारी रूप से लिए आकर्षित नहीं रहे
हैं इस दृष्टि के पश्चात् विनियोग की गति
तेज़ कर दी गयी।

जनवरी 1984 से नए उत्पादन
योजना का लेखायन कर दिए आयुर्विकरण
के लिए नए उत्पादन योजना बनाकर
गया ताकि इसके अन्तिम अवधि पर्याप्त
इकावियाँ की उपलब्धता की जा सके।